**File No.71-2099/888/2021- -2**

**73/2021/|/80301/2021**

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं चिकित्सालय
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 जुलाई, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-21/2021/5297/71-2-2021-के0एस0-01/2014 टी0सी0-1 दिनांक 09.03.2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि में टी0डी0एस0 की धनराशि लैप्स होने के सम्बन्ध मे।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-एफओ/सीआई/16/58/2021, दिनांक 05 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में लैप्स टी0डी0एस0 की धनराशि रू0 2.81 लाख जो कि कतिपय कारणों से कोषागार से आहरित नहीं हो सकी। उक्त लैप्स टी0डीएस0 की धनराशि रू0 2.81 लाख को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं चिकित्सालय लखनऊ के भवन निर्माण मद में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत निर्गत धनराशि रू0 140.50 लाख के सापेक्ष टी0डी0एस0 की धनराशि रू0 2.81 लाख (टी0डी0एस0 की लैप्स धनराशि) को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083- समाज कल्याण विभाग ( अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)के लेखाशीर्ष "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-24 वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू0 2.81

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लाख (दो लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शासनादेश संख्या-21/2021/5297/71-2-2021-के0एस0-01/2014 टी0सी0-1, दिनांक 09.03.2021 की शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेगीं।

भवदीय,

( अनिल कुमार सिंह )
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखा अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( अनिल कुमार सिंह )
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।